रा. रा. श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर बैंच इन्दौर के समक्ष

मांगीलाल पिता रूगनाथ A. 1771-PB/13 **अपीलार्थी**

विरूद्ध

अनवर पटेल पिता रहमत अली पटेल **प्रतिअपीलार्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 341 द.प्र.स.1973 सहपठित धारा 32 म.प्र.भू–राजस्व सहिंता 1959 के तहत्

प्रार्थी/अभिभाषक द्वा.रा. दिनांक 26.3.13 को प्रस्तुत

245/26-3-2013

महोदय,

अपीलार्थी की और से सदर अपील निम्नानुसार प्रस्तुत है कि :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि, मै एक अनपढ व्यक्ति हूँ और लिखना पढना नही जानता हूँ । हमारी पैत्रक सम्पत्ति ग्राम निपान्या मे एक खेत 14–15 बिघा तथा दूसरा खेत 2 बिघा का था । ग्राम निपान्या का 14–15 बिघा वाला खेत जिसके सर्वे नम्बर 302/1, एवं 303 का रकबा 1.275 एवं 2.570 हैक्टेयर भूमि को मुझ मांगीलाल व मेरे बडे भाई स्वं.श्री समंदरसींग पिता स्वं. श्री रूगनाथ जी सभी निवासी :–ग्राम निपान्या तेहसील व जिला इन्दौर के द्वारा अनवर पटेल के पिता श्री रहमत पटेल पिता प्यारजी पटेल निवासी :–ग्राम खजराना तेहसील व जिला इन्दौर को लगभग 35 वर्ष पुर्व मे विक्रेय कर विक्रेय प्रतिफल पेटे सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर ली थी एवं उसका मुर्तिमंत कब्जा भी उसी समय रहमत पटेल पिता प्यारजी को दे दिया था तथा उसकी लिखा पढी भी मेने तथा मेरे बडे भाई स्वं. श्री समंदरसींग ने रहमत पटेल पिता प्यारजी पटेल के पक्ष मे कर दी थी तथा मूल दस्तावेज भी हमारे द्वारा क्रेता को दे दिये थे । तभी से क्रेता व उसके वारिसगण अनवर पटेल वगैरा उस पर खेती करते चले आ रहे है तथा आज दिनांक को भी उन्ही के द्वारा ही कृषि कार्य किया जा रहा है । हमारा दूसरा खेत जो 2 बिघा का मालवा कालेज के पिछे था उसे मेरे भाई समंदरसिंह के लडको ने विक्रय कर सारी राशि ले ली थी जिसमे 1 बिघा का मेरा भी हिस्सा था। जिसके पैसे मेरे बडे भाई स्वं.श्री समंदरसींग के लडको ने मुझ मांगीलाल को नही दिये थे । जिसका विवाद मेरे व मेरे बडे भाई स्वं.श्री समंदरसींग के लडको के मध्य था । भूमाफिया श्री सुरेन्द्रसिहं पिता स्वं.श्री दीपसिंहजी बैस निवासी :–नंदा नगर इन्दौर व उनके साथीगणो तथा वकील साहब ने मुझ मांगीलाल के अनपढ होने का फायदा उठाकर मुझे से झूठ बोलकर एवं लालच देकर की तुम्हे तुम्हारे बडे भाई समंदरसिंह के लडको से एक बिघा जमीन के पैसे दिलाने के नाम पर तथा मेरे भाई के लडको से जो भी राशि मिलेगी उसे आपस मे आधी–आधी बाँटने के नाम पर एक–ढेड वर्ष पुर्व आरोपीगणों ने मुझ मांगीलाल को 1,00,000/– रूपये देकर तथा झूठ बोलकर बईमानीपूर्वक कई लिखे हुवे व कोरे कामजो ,रजिस्टरो व स्टॉम्पो पर अंगुठा लगवाया था । जिनका उपयोग आरोपीगणों द्वारा दिनांक18/11/2011 को 14–15 बिघा जमीन जो रहमत पटेल को 35 वर्ष पूर्व विक्रय कर चुके थे को हडपने की नियत से एक फर्जी आम–मुख्तीयार नामा व एक कृषि भूमि अनुबंध लेख निर्मित कर मेरी ओर से झूठा केस बिना मेरी जानकारी के तेहसील न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी महोदय व अपर आयुक्त महोदय के यहाँ पर झूठे तथ्यो एवं आधारों पर

अविरत................2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 1771–पीबीआर/13 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–4–2017	उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील जिन बिन्दुओं पर पेश की है उनका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् निराकरण किया गया है । अपीलार्थी स्वयं एफ. आई.आर. तथा न्यायिक दण्डाधिकारी के यहॉ परिवाद प्रस्तुत कर चुका है । इस अपील में संबंधित व्यक्ति को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। जिसके बारे में बिन्दु उठाये गये हैं उन पर किसी पक्षकार द्वारा क्या लाभ लिया गया है, यह नहीं बताया गया है । इस न्यायालय में अन्य प्रकरण कमांक निगरानी 2063–पीबीआर/2014 में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह पाया गया है कि अपीलार्थी का स्वयं का आचरण संदिग्ध रहा है, क्योंकि उसने अपर आयुक्त के समक्ष समय समय पर अलग अलग तथ्य बताते हुये शपथ पत्र पेश किये है । एक ही समय में वह इस प्रकरण में उपस्थित होता रहा है तथा प्रकरण कमांक निगरानी 2063–पीबीआर/2014 में अनुपस्थित रहता रहा है । 2/ उपरोक्त परिस्थितियों में यह अपील निरर्थक होने से समाप्त की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	